भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/1/2011/एसडीआर **दिनांक : 25 फरवरी,**
2011

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2011 – **निर्वाचनों का संचालन नियम,** 1961 **के नियम 90 का संशोधन – निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी – तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

मुझे, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की दिनांक **23** फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. एच-**11019(1)/2011**-विधायी ।। की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा निर्वाचन का संचालन नियम **1961** के नियम **90** को संशोधित किया गया है और इसके अनुसार लोक सभा एवं विधान सभाओं के निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के लिए लागू निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है।

इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों एवं मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य इकाईयों तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की सूचना हेतु उनके ध्यान में लाया जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(आशीष चक्रबर्ती)
अवर सचिव

<u>मानक वितरण</u>

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2011/फाल्गुन 4, 1932
No. 361] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2011/PHALGUNA 4, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2011

का.आ. 425(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 77 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में, विद्यमान सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्रम सं.	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम	किसी एक में निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
1	2	3	4
	I. राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	40,00,000	16,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	27,00,000	10,00,000
3.	असम	40,00,000	16,00,000
4.	बिहार	40,00,000	16,00,000
5.	गोवा	22,00,000	8,00,000
6.	गुजरात	40,00,000	16,00,000
7.	हरियाणा	40,00,000	16,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	40,00,000	11,00,000
9.	जम्मू-कश्मीर	40,00,000	—
10.	कर्नाटक	40,00,000	16,00,000
11.	केरल	40,00,000	16,00,000
12.	मध्य प्रदेश	40,00,000	16,00,000

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	40,00,000	16,00,000
14.	मणिपुर	35,00,000	8,00,000
15.	मेघालय	35,00,000	8,00,000
16.	मिजोरम	32,00,000	8,00,000
17.	नागालैंड	40,00,000	8,00,000
18.	उड़ीसा	40,00,000	16,00,000
19.	पंजाब	40,00,000	16,00,000
20.	राजस्थान	40,00,000	16,00,000
21.	सिक्किम	27,00,000	8,00,000
22.	तमिलनाडु	40,00,000	16,00,000
23.	त्रिपुरा	40,00,000	8,00,000
24.	उत्तर प्रदेश	40,00,000	16,00,000
25.	पश्चिमी बंगाल	40,00,000	16,00,000
26.	छत्तीसगढ़	40,00,000	16,00,000
27.	उत्तराखंड	40,00,000	11,00,000
28.	झारखंड	40,00,000	16,00,000
	II. संघ राज्यक्षेत्र		
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	27,00,000	-
2.	चंडीगढ़	22,00,000	-
3.	दादरा और नागर हवेली	16,00,000	-
4.	दमण और दीव	16,00,000	-
5.	दिल्ली	40,00,000	14,00,000
6.	लक्षद्वीप	16,00,000	-
7.	पुडुचेरी	32,00,000	8,00,000"

[फा. सं. एच-11019(1)/2011-वि.-2]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण :-- मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2011

S.O.425(E).—In exercise of the powers conferred by section 169, read with sub-section (3) of section 77 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2011.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 90, for the existing Table and entries relating thereto, the following Table and entries shall be substituted, namely:-

"TABLE

Sl.No.	Name of State or Union territory	Maximum limit of election expenses in any one	
		Parliamentary constituency	Assembly constituency
1	2	3	4
	I. STATES		
1.	Andhra Pradesh	40,00,000	16,00,000
2.	Arunachal Pradesh	27,00,000	10,00,000
3.	Assam	40,00,000	16,00,000
4.	Bihar	40,00,000	16,00,000
5.	Goa	22,00,000	8,00,000
6.	Gujarat	40,00,000	16,00,000
7.	Haryana	40,00,000	16,00,000
8.	Himachal Pradesh	40,00,000	11,00,000
9.	Jammu and Kashmir	40,00,000	-
10.	Karnataka	40,00,000	16,00,000
11.	Kerala	40,00,000	16,00,000
12.	Madhya Pradesh	40,00,000	16,00,000

1	2	3	4
13.	Maharashtra	40,00,000	16,00,000
14.	Manipur	35,00,000	8,00,000
15.	Meghalaya	35,00,000	8,00,000
16.	Mizoram	32,00,000	8,00,000
17.	Nagaland	40,00,000	8,00,000
18.	Orissa	40,00,000	16,00,000
19.	Punjab	40,00,000	16,00,000
20.	Rajasthan	40,00,000	16,00,000
21.	Sikkim	27,00,000	8,00,000
22.	Tamil Nadu	40,00,000	16,00,000
23.	Tripura	40,00,000	8,00,000
24.	Uttar Pradesh	40,00,000	16,00,000
25.	West Bengal	40,00,000	16,00,000
26.	Chhattisgarh	40,00,000	16,00,000
27.	Uttarakhand	40,00,000	11,00,000
28.	Jharkhand	40,00,000	16,00,000
	II. UNION TERRITORIES		
1.	Andaman and Nicobar Islands	27,00,000	-
2.	Chandigarh	22,00,000	-
3.	Dadra and Nagar Haveli	16,00,000	-
4.	Daman and Diu	16,00,000	-
5.	Delhi	40,00,000	14,00,000
6.	Lakshadweep	16,00,000	-
7.	Puducherry	32,00,000	8,00,000".

[F. No. H-11019(1)/2013-Leg.II]

DR. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Note: The principal rules were published *vide* notification number S.O.859, dated the 15th April, 1961 and last amended *vide* S.O.728(E), dated the 8th May, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.